रांची, बुधवार, 01 दिसंबर 2010 हिन्दुस्तान

झारखण्ड सरकार

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत झारखण्ड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली - 2010 लागू करने के क्रम में मंतव्य/सुझाव समर्पित करने हेतु आम सूचना

भारतीय गणराज्य के साठवें वर्ष में मौजूदा अधिनियमों यथा- बाट और माप मानक अधिनियम, 1976, और बाट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 की जगह एक नया अधिनियम, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 संसद के द्वारा पारित किया गया है। संसद के द्वारा पारित विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 पर 13 जनवरी 2010 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के मुख्य प्रावधान निम्नवर्णित है :-

क) व्यवसाय या संरक्षण में व्यवहृत बाट या माप का विनियमन।

ख) बाट या माप के मॉडल की स्वीकृति।

ग) विहित बाट या माप का सत्यापन सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा बाट या माप का किया जा रहा सत्यापन पूर्ववत रहेगा।

घ) केन्द्र या राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त विधिक माप विज्ञान अधिकारी के लिए विहित योग्यता।

ड़) निर्यात के लिए बाट या माप या अन्य मालो के छूट के लिए विनियमन।

च) विभिन्न बाट या माप के संदेय फीस।

छ) कम्पनी के द्वारा निदेशक का नामांकन, जो अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए जबावदेह हो।

ज) अपराधों के शास्ति के शुल्क एवं अपराधों के शमन का शमन शुल्क में वृद्धि।

झ) विभिन्न प्राधिकारों के निर्णय के विरूद्ध अपील।

3. भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण मंत्रालय उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली के पत्रांक-WM-9(b)2010-Pt.I दि0- 14.09.10 के द्वारा सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित राज्यों को विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2010 का संशोधित आदर्श नियमावली प्रारूप उपलब्ध कराया गया है जिसके आलोक में विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2010 का प्रारूप तैयार किया गया है, जो विभागीय वेबसाईट www.sameti.org पर देखा जा सकता है।

4. तदनुसार राज्य के सभी संबंधित व्यक्तियों/पक्षकारों/संघों से अनुरोध है कि प्रस्तावित नियमावली के विभिन्न प्रावधानों पर अपने सुविचारित मंतव्य/सुझाव (औचित्य के साथ) दिनांक 10.12.2010 तक अवर सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, नेपाल हाउस, डोरण्डा, रांची में समर्पित करे।

6. प्रसंगाधीन प्रस्ताव विभागीय ई0 मेल jhagriculture@gmail.com पर भी समर्पित किए जा सकते हैं।

अवर सचिव
कृषि एवं गन्ना विकास विभाग
झारखण्ड, रांची

पी. आर. 38150 (कृषि) 10-11